

FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम-26)

2021
508

अज अदालत

(नियम 26)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नियम

सेक्शन 508

बनाम

मिश्री मल

किस्म मुकदमा

U/S 508 Cr.P.C.

नं

210

सन्

2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.11.2021	<p>वादी स्वयं से प्रशासन गंतो के संग प्रमिशन केट्टे केम्प माजीवाला में वाद पठ गेस कर निवेदन किया गया कि मोजा नमोल के खेत के 175 एकड़ 439 रकबा 99-09 कीमा के बारी का नाम गोपाल दर्ज किया गया है जबकि माजीवाला के खेत सं. 56 में बारी का नाम गोविन्दकिं दर्ज किया गया है बारी का कन्स सरकारी दस्तावेज में भी गोविन्दकिं बारी का सही नाम दर्ज है जिसे पुनर्स्थाप करने का उद्देश्य किया गया</p> <p>प्रतिवादी केरकिं के इकबाली जवाबदा पेदा किया गया।</p>	<p>2 व नमो 15</p> <p>भुंजानसिंह</p> <p>गोविन्दकिं</p> <p>केवलीसिंह राजपुरोहित सचिव ग्राम पंचायत माजीवाला प.स. बालोतरा बाजकरा</p> <p>Chyane</p> <p>19/11/2021</p> <p>रूप तहसीनदार (पु.अ.) जसवंत तहसील - प्रमपरा</p>


(नियम 26)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

~~वाद पत्र में अंकित तथ्यों की मजमें
शाम में जांच कर वादी का सही नाम
गोविन्द सिंह दर्ज कराने की अनुशंसा की।
वादी के वाद-पत्र को स्वीकार~~

~~कर मौजा जसोल के खसरा नम्बर
439 खसरा 99-09 बीमा में वादी का
गलत नाम गोपाल के स्थान गोविन्द सिंह
रहा ग्राम माजीवाला के खसरा नं. 56
में गोविन्द सिंह की वकील मिश्रीमल
दुकली की जाती है।~~

~~अधीनकार पंचपदवा अदाउतार रामस्य
रेकॉर्ड में कमलदास कर पालना
रिपोर्ट सेवा करे।~~

~~निर्दिष्ट आज की 19.11.2021 के
मजमें शाम केस कोर्ट माजीवाला
में सुनाया गया।~~

(नेम) 
सहायक कलेक्टर
(SDO) जोधपुर